न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 113/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. नारायणराम पुत्र रतनाराम जाट निवासी– ग्राम प्रहलादपुरा, तहसील सेखाला, जोधपुर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जोधपुर। 2. उपखण्ड अधिकारी, बालेसर 3. ग्राम पंचायत प्रहलादपुरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत प्रहलादपुरा तहसील, सेखाला, जोधपुर 4. भू0अ0निरीक्षक, चामू तहसील सेखाला, जोधपुर। 5. हल्का पटवारी, प्रहलादपुरा तहसील सेखाला, जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, बालेसर, जिला जोधपुर के द्वारा आदेश कमांक 1395 दिनांक 01.06.2018 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2–श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.सं. 1,2 एवं 4,5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 6 फरवरी, 2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मूलजी का बेरा, पटवार क्षेत्र चामू के खसरा संख्या 2246 रकबा 138 बीघा 10 बिस्वा भूमि आई हुई है जिसमें अपीलान्ट व उनके भाईयों की खातेदारी कब्जाकाश्त की कृषि भूमि ख0सं0 2246/02 रकबा 51 बीघा है तथा ख0सं0 2246/02 रकबा 51 बीघा में अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा है। मूल खसरा भूमि का नक्शा में विधी अनुसार बंटवाडा नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि खेत ख0सं0 2246/2 रकबा 51 बीघा में से 09 बिस्वा भूमि की खातेदारी समाप्त करते हुए गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने का आदेश दिनांक 01.06.2018 को पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 20.8.20 को पटवारी हल्का मौके पर आये और बताया कि वर्ष 2018 में ख0सं0 2246/2 में अधिनस्थ न्यायालय ने रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया लेकिन आपने अभी तक रास्ता नहीं खोला, तब अपीलान्टस ने निवेदन किया कि हमारे खेत में कोई रास्ता नहीं कटाया तब पटवारी हल्का ने बताया कि रास्ता दर्ज करने में आपको सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है। तब अपीलान्टस ने दिनांक 24.8.20 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की। उस दिनांक

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि वह खसरान भूमि के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार व हितबद्ध काश्तकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक होता है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश काबिल खारिज होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय को यह कोई विधिक अधिकार नहीं है कि वह अपीान्टस को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उनकी खातेदारी भूमि में से रास्ता दर्ज करे। इसके अतिरिक्त अपीलान्टस की खातेदारी भूमि में से किसी पडौसी खातेदार काश्तकार के द्वारा रास्ते की मांग नहीं की गई है। इस कारण से प्रत्यर्थीगण को यह कोई अधिकार नहीं है कि वे पटवारी हल्का के तथाकथित प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट की कृषि भूमि में रास्ता दर्ज करें। ऐसे में अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र प.3 (2) राज.6/2003 पार्ट 204 दिनांक 10.08.2016 व जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक 12663–675 दिनांक 2.9.2016 का हवाला अपने आदेश में दिया है जबकि उक्त परिपत्र व आदेश हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होता है। उक्त परिपत्र केवल राजस्व अभियान, 2016 के दौरान ही रास्ता कायम किया जा सकता था। किसी पडौसी खातेदारान के द्वारा रास्ते की मांग ही नहीं है। मौके पर कोई रास्ता विद्यमान ही नहीं है। केवल मात्र राजनैतिक दबाव में आकर गरीब खातेदार काश्तकार को तंग व परेशान करने की नियत से सम्पूर्ण कार्यवाही अमल में लाई गई है। यदि किसी खातेदार को अपनी खातेदारी कृषि में आने जाने हेतु रास्ता की आवश्यकता होती तो राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये थी। लेकिन बिना रास्ते की मांग किये, अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट की कृषि भूमि में से रास्ता निकालने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.6.2018 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार, 2018 के कैम्प कोर्ट के समक्ष तहसीलदार बालेसर के द्वारा अपने पत्रांक 30.05.2018 के द्वारा पटवार हल्का चामू के ग्राम मूलजी का बेरा के विभिन्न विभिन्न राजकीय/ निजी खसरान भूमि में स्थाई रूप से चालू परन्तु राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है, सार्वजनिक रास्ते की भूमि रूप में चल रही है को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु निवेदन किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2018 के द्वारा उपरोक्त रास्ते के उपयोग

जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने हेतु प्रकट किये गये कथनों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश दिनांक 01.06.2018 का अवलोकन किया गया। समस्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपीलान्टस की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2018 के क्रम में तहसीलदार, सेखाला को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को नोटिस जारी कर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया जावे तथा मौका फर्द तैयार की जाकर उभय पक्षकारान की सुनवाई पश्चात प्रकरण का निस्तारण करे। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ते को बन्द नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 06 फरवरी, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर